[2022] 8 एस.सी.आर 1

भागवानी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 101–102)

18 जनवरी, 2022

[एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई और बी. वी. नागरत्ना, न्यायाधिपतिगण]

निर्णय

न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

अनुमति दी गई।

1. इन अपीलों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आई.पी.सी".) की धारा 363, 366 क, 364, 346, 376 घ, 376 क, 302, 201 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में "पॉक्सो अधिनियम") की धारा 5(छ),(ड) सपठित धारा 6 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, को बरकरार रखा गया था।

2. 14.04.2017 को रात 9 बजे, बृजलाल यादव (पीडब्लू–2) के साथ उनकी पत्नी कलावती (पीडब्लू–1), दो बेटे और उनकी बेटी, अनिल मरावी के घर चौक बारहों (नामकरण समारोह) के एक समारोह में भाग लेने गए थे। जब वे लगभग रात 11.00 बजे वापस लौट रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी लापता है। उन्होंने खोज शुरू की और लगभग 5 बजे अगले दिन सुबह, पीडब्लू–1 ने अपनी बेटी को एक हैंडपंप के पास पड़ा पाया। उसकी बेटी बेहोशी की हालत में थी। पीडब्लू–1 ने चिल्लाना शुरू कर दिया जिस पर पीडब्लू–2 और अन्य लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुलाया। जिला वैज्ञानिक अधिकारी, अपराध इकाई का दृश्य, डिंडोरी, मध्य प्रदेश, ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण विवरण के अनुसार, मृतक का शव सुस्ती अवस्था में पड़ा हुआ था और मृतक के सिर के पीछे की ओर, बालों में सूखी घास और गोखरु (कैलट्रॉप) के कई छोटे–छोटे टुकड़े थे। बालों में खरबूजे के पेड़ की सूखी छाल भी थी। दोनों की आंखें बंद थीं। नाक से झाग देखा गया, छोटी आंतरिक चोटें दिखाई दे रही थीं और ठोड़ी के बाईं और दाईं ओर, चोट के छोटे निशान थे। गर्दन के आगे और बाएँ हिस्से में चोट के छोटे–छोटे निशान पाए गए। जननांग में खून था। दाहिने पैर के तलवे पर खून था। दाहिने पैर के टखने के ऊपर भी खून था। छाती के बाईं ओर खरोंच के निशान थे और एक और खरोंच प्रकार का निशान छाती के नीचे थी। दोनों जांघों पर जननांग तक खून के धब्बे पाए गए। जांघ के पीछे और गुदा के पास खून पाया गया। पूरी पीठ और कमर पर चोट के छोटे–छोटे निशान थे। जाँच अधिकारी को शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने और घटना स्थल पर मिली दृश्य वस्तुओं को इकट्ठा करने,

संरक्षित करने और पैक करने का निर्देश दिया गया था। अभियोजक द्वारा पहने गए कपड़ों को जब्त करने और उनकी जांच कराने के लिए आगे का निर्देश दिया गया था। पीडब्लू–6 डॉ. सज्जन कुमार उइके द्वारा 15.04.2017 शाम 4 बजे पोस्टमॉर्टम किया गया, जिन्हें निम्नलिखित चोटें मिलीं: –

> *"मृत्युज काठिन्य दोनों निचले अंगों में मौजूद है और दोनों ऊपरी अंगों में आंशिक रूप से पारित हो गया है। आंखें बंद, मुंह बंद, मुट्ठी आधा खुला, कॉर्निया भरा हुआ, पुतली फैली हुई, चेहरा नीला, होंठ नीला, उंगली और हाथ नीला। दोनों नासिकाओं के ऊपर रक्त मिश्रित झाग मौजूद है। रक्त मिश्रित लार मुँह के ऊपर दोनों कोणों पर निचले जबड़े के किनारे तक है। गर्दन के बायीं ओर, गर्दन के मध्य भाग पर चोट के चार निशान। गर्दन के बाईं ओर चोट के तीन निशान, मध्य में चोट का तीसरा आकार 1½ सेमी x 1 सेमी के बीच। 1 सेमी x 1 सेमी दोनों गालों पर चोट, 1 सेमी x 1 सेमी इन्फ्राऑर्बिटल बायीं ओर। सीने की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा के बाईं ओर 11/2 सेमी चोट। एक इंट्रास्कैपुलर 1 सेमी चोट दो 1/2 सेमी बाएं नितंब पर चोट । गुदा क्षेत्र के चारों ओर दोनों जाँघों के निचले मध्य तीसरे भाग के क्षेत्र में गुलाबी रंग के पहलू पर जमा हुआ रक्त पाया जाता है और गुदा और योनिमुख के बीच के भाग के ऊपर सूखा जमा हुआ रक्त पाया जाता है! योनि द्वार में त्वचा की पूर्व से पश्च तक तीन सेमी रक्त मौजूद होना और मांसपेशियों और त्वचा की पूरी मोटा। गुदा द्वार और गुदा के अंदरूनी हिस्से पर सूखा जमा हुआ रक्त मौजूद होना। योनि द्वार फैला हुआ है, 2 उँगलियाँ आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। सभी चोटें प्रकृति में मृत्युपूर्व हैं।"*

मृत्यु का कारण श्वासावरोध, गर्दन को दबाने के कारण न्यूरोजेनिक सदमा, जबरदस्ती बलात्कार करने से गंभीर चोटें और योनि व गुदा द्वार में खून बहना बताया गया।

3. संदेह के आधार पर, अपीलकर्ता और सतीश पुत्र जहर सिंह धूमकेती को 16.04.2017 पर गिरफ्तार किया गया। सतीश का बयान दर्ज किया गया जिसके अनुसार मृतक का कंबल और शॉल और उसके पहने हुए कपड़े जब्त कर लिए गए। इसी तरह, अपीलकर्ता द्वारा दिए गए बयान पर उनके द्वारा पहने गए कपड़े जो उसके गौशाला में छुपाए गए थे, उन्हें जब्त कर लिया गया। जाँच पूरा होने पर, अंतिम प्रतिवेदन 27.06.2017 पर दाखिल की गई थी। सतीश और अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 363, 366 क, 364, 346, 376 घ, 376 क, 302, 201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(छ), (ड) सपठित धारा 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। 12 गवाहों से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ की गई। सत्र न्यायाधीश, डिंडोरी ने अपीलकर्ता और सतीश को आरोपित अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता और सतीश के खिलाफ संदर्भ का जवाब दिया। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता और सतीश ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपीलों के लंबित रहने के दौरान सतीश की मृत्यु हो गई और इसलिए उनकी अपील समाप्त हो गई है।

4. चूंकि 11 साल की लड़की की अपहरण, बलात्कार और हत्या के संबंध में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। ***शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य***[1] में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की जांच की। पीडब्लू–1 की गवाही का संदर्भ दिया गया था जिसने कहा कि अपीलकर्ता और सतीश अनिल मरावी के घर पर चौक बरहों समारोह में मौजूद थे और मृत शरीर के बरामद होने के बाद स्वयं दुर्लभ हो गए थे। गाँव में एक छोटा सा होटल चलाने वाले पीडब्लू–4, चैन सिंह की मौखिक गवाही का भी संदर्भ दिया गया था। उसने अपदस्थ किया कि पीड़ित लड़की 14.04.2017 को रात 9 बजे कुर्कुरे खरीदने के लिए आई थी और उसके पास एक कंबल और शॉल था। पंद्रह मिनट बाद, अपीलकर्ता भी नमकीन खरीदने के लिए दुकान पर गया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान और पीड़ित लड़की की शॉल और कंबल और सतीश और अपीलकर्ता के कपड़ों की बरामदगी को माना। घटना स्थल से एक कंबल और बटन की जब्ती सतीश की कमीज से होना साबित हुई। डॉ. विजय पैगवार (पीडब्लू–11) की साक्ष्य पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया जिसने सतीश और अपीलकर्ता की चोटों की जांच की। अपीलकर्ता के बाएं कंधे के ऊपरी हिस्से पर 1 इंच आकार का खरोंच का निशान था, बाईं ओर कंधे के नीचे की ओर 0.50 इंच आकार का खरोंच का निशान था, शरीर के पीछे के हिस्से में 0.50 इंच के आकार का खरोंच का निशान, दाहिने हाथ पर 2 इंच के खरोंच के निशान और गाल पर 1 सेमी के आकार का घर्षण का निशान और पसलियों पर 4 इंच के आकार का घर्षण था । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("दंड प्रक्रिया संहिता") की धारा 313 के तहत अपनी जांच के दौरान अपीलकर्ता और सतीश द्वारा दिए गए उत्तरों की भी विचारण न्यायालय द्वारा जांच की गई थी। अपीलकर्ता का यह स्वीकार करना कि उसने घटना के दिन शाम को सतीश के साथ शराब पी थी और वे दोनों जयपाल सिंह (पीडब्लू–9) से मिलने गए और अगले दिन सुबह शराब के लिए अनुरोध किया को विचारण न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया था। अपीलकर्ता का यह कथन कि उसे उसकी माँ 14.04.2017 की रात को घर ले गई थी और जब वह उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी, तो अपीलकर्ता अपने पड़ोसी दीपा के घर गया, को विचारण न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि न तो उसकी माँ और न ही दीपा से पूछताछ की गई थी। अपीलकर्ता की ओर से आश्वस्त होने के बाद कि परिस्थितियाँ परिकल्पना के अनुरूप थी, विचारण न्यायालय ने उन्हें आरोपित अपराधों के लिए दोषी ठहराया। अपीलकर्ता और सतीश को सुनने के बाद विचारण न्यायालय ने उन्हें बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराधों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा सुनाई। संदर्भ पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की पुनः सराहना की और विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

5. श्री सिंह, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान विधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कोई भी खोज और बरामदगी अपीलकर्ता को शामिल नहीं करती है। उन्होंने तर्क दिया कि सतीश का खुलासा बयान 16.04.2017 को 13:40 बजे दर्ज किया गया था और अपीलकर्ता का प्रकटीकरण बयान डेढ़ घंटे बाद दर्ज किया गया। दोनों बयान पीडब्लू–10 द्वारा दर्ज किए गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निचली

[1] (1984) 4 एससीसी 116

अदालतों ने अपीलकर्ता के प्रकटीकरण बयान पर भरोसा करने में त्रुटि की है। उन्होंने आगे कहा कि बयान में कहा गया है कि अपराध के कथित स्थान से बरामद की गई वस्तुओं में से किसी का भी अपीलकर्ता से कोई संबंध नहीं है। उनके अनुसार, कुरकुरे का जो पैकेट खरीदा गया था, उसकी पहचान अदालत में पीडब्लू–4 द्वारा नहीं की गई थी, जिसकी दुकान से इसे खरीदा गया था। अपराध स्थल से जब्त किया गया काला बटन सतीश की शर्ट से है जिससे अपीलकर्ता का कोई संबंध नहीं था। कमीज, लाल सैंडो बनियान और जींस पैंट की जब्ती पर टिप्पणी करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सीरोलॉजिकल परीक्षण यह साबित करने के लिए नहीं किया गया था कि कपड़ों पर पाया गया खून मानव रक्त था। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता की चोटें एक परिस्थिति के रूप में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वह शारीरिक श्रम करने वाला मजदूर है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी ज्ञापन में "चोट के निशान" का कॉलम खाली पाया गया था। अपीलकर्ता के विद्वान विधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पिछली बार पीड़ित के साथ देखे गए अभियुक्त के साक्ष्य की निचली अदालतों द्वारा उचित रूप से सराहना नहीं की गई है। उन्होंने भगत सिंह (पीडब्लू–5) के साक्ष्य का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था, और यह केवल सतीश था जो फरार था। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपनी जांच में दिए गए बयानों की उचित रूप से सराहना नहीं की गई थी। अपीलकर्ता के विद्वान विधिवक्ता ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान में उनके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। अपीलकर्ता के विद्वान विधिवक्ता के अनुसार, परिस्थितियों की श्रृंखला अधूरी है और केवल एक परिकल्पना के अनुरूप नहीं है, जो अपीलकर्ता के अपराध को साबित करती है। मृत्युदंड पर, अपीलकर्ता के विद्वान विधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित की गयी ह यथा तत्काल मामले में प्रभावी कानूनी सहायता का समर्थन नहीं किया गया था। न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र को गवाहों से जिरह करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था और अपीलकर्ता को सजा सुनाने से पहले प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया है। अपीलकर्ता के सुधार की संभावना और आजीवन कारावास की सजा को निर्विवाद रूप से स्थगित किए जाने की संभावना को नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया था। अपीलकर्ता के विद्वान विधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता को आई. पी. सी. की धारा 376 क के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। 2013 में संशोधन के बाद सामूहिक बलात्कार को आई. पी. सी. की धारा 376 (1) और (2) के दायरे से बाहर कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने आई. पी. सी. की धारा 376 घ के तहत अपराध करने के लिए अपीलकर्ता और सतीश के बीच किसी भी सामान्य इरादे को स्थापित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। सामूहिक बलात्कार करने के लिए सजा आजीवन कारावास है। इसलिए, मृत्युदंड का अधिरोपण अरक्षणीय है।

6. मध्य प्रदेश राज्य की विद्वान उप महाधिवक्ता सुश्री अंकिता चौधरी ने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों का बचाव करते हुए कहा कि घटनाओं/परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई

विराम नहीं है। उनके अनुसार, अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि अनिल मारवी के घर पर चौक बारहों का समारोह था, पीड़ित को चैन सिंह (पीडब्लू–4) की दुकान पर देखा गया था और थोड़ी देर बाद, अपीलकर्ता दुकान पर गया और पीडब्लू–5 ने मृतक को सतीश के घर जाते देखा, जिसकी पुष्टि सतीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि मृतक उसकी काली शॉल रखने के लिए उसके घर आया। इसके बाद मृतक गायब हो गयी और अगले दिन सुबह उसका शव मिला। चिकित्सीय साक्ष्य ने मृतक के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या का खुलासा किया। वैज्ञानिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सतीश ने बलात्कार का अपराध किया था। सतीश और अपीलकर्ता को 14.04.2017 की शाम को एक साथ देखा गया था और वे अगले दिन सुबह पीडब्लू–9 के पास भी गए थे। उसने पीडब्ल्यू–9 से शराब के लिए अनुरोध किया। इसके बाद सतीश लापता हो गया और दोपहर में उसे पकड़ लिया गया। प्रकटीकरण बयान के अनुसार, अपीलकर्ता के कपड़े अपीलकर्ता के घर में गौशाला से जब्त किए गए थे। राज्य के विद्वान विधिवक्ता ने अपीलकर्ता के शरीर पर लगी चोटों का उल्लेख किया जिन्हें उसने समझाया नहीं था। उन्होंने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल), सागर द्वारा तैयार की गई डीएनए प्रतिवेदन पर भी भरोसा किया। अनुच्छेद डी का विशिष्ट संदर्भ दिया गया था जो अपीलकर्ता की एक पूरी पैंट थी जिस पर ज़िप क्षेत्र के पास खून का धब्बा था। सुश्री चौधरी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद डी की जांच करते समय कई शिखर देखे गए थे जो दर्शाता है कि अनुच्छेद डी पर एक से अधिक डीएनए लक्षण हैं। राज्य के विद्वान विधिवक्ता ने आगे कहा कि अपीलकर्ता अपनी अन्यत्र उपस्थिति की दलील साबित नहीं कर सका। अपीलकर्ता अपनी माँ और दीपा की जाँच करने में विफल रहा जिनके घर वह 14.04.2017 की रात को सोया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपनी जांच के दौरान अपीलकर्ता को पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों का उल्लेख करते हुए, राज्य के विद्वान विधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि यदि परिस्थितियाँ साबित हो जाती हैं तो केवल इनकार अतिरिक्त कड़ी प्रदान करेगा। राज्य के विद्वान विधिवक्ता ने यह तर्क दिया गया कि हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग अभियुक्त के खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है, जिस हद तक यह अभियोजन के मामले का समर्थन करता है। कम उम्र में एक असहाय लड़की को बलात्कार के बाद मार दिया गया था और अपीलकर्ता किसी भी नरमी का हकदार नहीं है। राज्य का तर्क है कि अपीलकर्ता को उसके द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड देने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

7. ***दलबीर कौर बनाम पंजाब राज्य***[2] में इस न्यायालय ने विशेष अवकाश द्वारा आपराधिक अपील में हस्तक्षेप को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जो निम्नलिखित हैः–

> *"(1) कि यह न्यायालय साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगा यदि यह साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण लेता है तब भी;*

[2] (1976) 4 एससीसी 158

(2) कि न्यायालय आम तौर पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन या समीक्षा नहीं करेगा, जब तक कि उच्च न्यायालय का मूल्यांकन कानून या प्रक्रिया की त्रुटि से दूषित नहीं होता है या अभिलेख की त्रुटि, साक्ष्य के गलत पढ़ने या असंगत होने पर आधारित नहीं होता है। उदाहरण के लिए, साक्ष्य के साथ, जहां नेत्र साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत है आदि;

(3) कि न्यायालय उच्च न्यायालय की राय के स्थान पर अपनी राय रखने की दृष्टि से साक्ष्य की विश्वसनीयता में प्रवेश नहीं करेगा;

(4) कि न्यायालय हस्तक्षेप करेगा जहाँ उच्च न्यायालय किसी न्यायिक प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या निष्पक्ष सुनवाई की अवहेलना करते हुए तथ्य के निष्कर्ष पर पहुँच गया है या कानून या प्रक्रिया के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय हुआ है;

(5) यह न्यायालय वहां भी हस्तक्षेप कर सकता है जहां सिद्ध तथ्यों पर कानून के गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत और बिना किसी सबूत के हैं।

इस न्यायालय ने पक्षकारों के विधिवक्ता को समय, ऊर्जा और विशेषज्ञता की बचत करने के लिए उपरोक्त सिद्धांतों के चार कोनों के भीतर अपनी दलीलों को सीमित करने का आह्वान किया।

8. निर्विवाद तथ्य यह है कि पीडब्ल्यू–2 अपने परिवार के सदस्यों के साथ अनिल मरावी के घर पर 14.04.2017 की शाम को चौक बरहों समारोह में शामिल हुए थे। उनकी 11 साल की बेटी लापता हो गई और अगले दिन सुबह मृत पाई गई। अपीलकर्ता और सतीश को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया और उनके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर उनके कपड़े बरामद कर लिए गए। चिकित्सीय साक्ष्य से पता चलता है कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। चेक पैटर्न की एक हरी शर्ट, जिसके सामने के दो काले बटन टूट गए थे, जो कंधे के पास फटी हुई है और जिसमें खून का धब्बा है, अपीलकर्ता के गौशाला की छत पर फूल के बर्तन से जब्त की गई थी। काले रंग की पट्टी के साथ एक लाल रंग का सैंडो बनियान, जो गहरे रक्त के धब्बे के साथ कंधे के पास फटा हुआ है, को भी 28 नंबर की परत और पीछे दाईं ओर हार्व का उल्लेख किया गया की एक जींस पैंट के साथ जब्त किया गया। आसमानी नीले रंग की जींस पैंट के सामने खून का एक गहरा धब्बा था। राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, सिविल लाइन्स, सागर की प्रतिवेदन से पता चला कि सतीश के पुरुष डीएनए प्रोफाइल में देखे गए सभी एलील एक ही पाए गए जैसा कि अभियोजक की योनि और मलाशय की स्लाइडों से डीएनए प्रोफ़ाइल देखी गई। मृतक अभियोजक के स्रोत, सतीश के धोती और अंडरवियर पर एक ही महिला ऑटोसोमल एसटीआर डीएनए प्रोफ़ाइल का पता चला था। जहाँ तक अनुच्छेद डी का संबंध है, जो अपीलकर्ता एक पूरी पैंट है, डीएनए प्रतिवेदन के अनुसार कई शिखर देखे गए थे।

9. अपीलकर्ता और सतीश अनिल मरावी के घर पर आयोजित समारोह में उपस्थित थे, जैसा कि पीडब्लू–1, 3 और 5 द्वारा अपदस्थ किया गया था। पीडब्लू–4 ने अपदस्थ किया कि वह गाँव में एक छोटा सा होटल चलाता है और मृतक रात 9 बजे कुर्कुरे खरीदने के लिए उसकी दुकान पर गयी थी। इसके 15 मिनट बाद, अपीलकर्ता नमकीन खरीदने के लिए दुकान पर गया। जयपाल (पीडब्लू–9) ने कहा कि अपीलकर्ता और सतीश 15.04.2017 पर उनके घर गए थे। उनकी आँखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और वे डरे हुए थे। उन्होंने उसे सूचित किया कि उन्होंने एक बड़ा घोटाला किया है। उस समय अपीलकर्ता की माँ मुन्नी बाई आई और सतीश और अपीलकर्ता चले गए। आधे घंटे बाद जब मृतक का शव मिला तो गांव में हंगामा हो गया।

10. सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत सतीश से पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि वह 14.04.2017 को अनिल मरावी के घर पर मौजूद था और यह कि उन्होंने 15.04.2017 की सुबह पीडब्लू–9 का के पास गया। अपीलकर्ता ने 14.04.2017 पर अनिल मारवी के घर पर और सुबह 15.04.2017 पर पीडब्लू–9 के घर पर अपनी उपस्थिति भी स्वीकार की। उन्होंने आगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपनी जाँच में कहा कि उनकी आँखें लाल, बाल बिखरे हुए थे और उसने और सतीश ने पीडब्लू–9 से शराब की मांग की। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता ने यह भी कहा कि वह 14.04.2017 को सुबह 9 बजे सतीश के साथ काम के लिए सुदगांव गया था। लौटते समय उसने सतीश के साथ शराब पी। वह शाम 7 बजे सतीश के साथ अनिल मरावी के घर गए। उन्हें जाने के लिए कहा गया क्योंकि वे नशे की हालत में थे। इसके बाद अपीलकर्ता चैन सिंह की दुकान पर गया जहाँ से उसकी माँ उसे घर ले गई। वह अपनी पड़ोसी दीपा के घर पर सोया था।

11. डॉ. विजय पेगवार (पीडब्लू–11) द्वारा 17.04.2017 को अपीलकर्ता की जांच की गई और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईः

i) कंधे के ऊपर की ओर 1 इंच का खरोंच का निशान;

ii) निचले बाएँ कंधे पर 0.5 इंच खरोंच का निशान,

iii) पीठ के निचले हिस्से पर 0.5 इंच खरोंच का निशान

iv) दाहिने हाथ पर 2 इंच खरोंच के निशान,

v) गाल पर 1 सेमी का घर्षण का निशान, और

vi) दाहिने निचले पार्श्व पसलियाँ पर 4 इंच आकार की घर्षण चोट। सतीश के शरीर पर मिले खरोंच के निशान डॉ. विजय पेगवार द्वारा भी जाँच की गई।

12. प्रकटीकरण बयान के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा पहने गए कपड़े गौशाला की छत पर एक फूल के बर्तन से जब्त किए गए थे। अनुच्छेद बी से संबंधित एफ. एस. एल. प्रतिवेदन जो अपीलकर्ता की फुल पैंट है, जिस पर ज़िप के पास खून का धब्बा था, जिसमें कई चोटियाँ दिखाई दीं। अपीलकर्ता और

सतीश ने शराब पी थी और अनिल मरावी के घर पर एक साथ थे। वे उपद्रव कर रहे थे तो उन्हें खदेड़ दिया गया. अगले दिन सुबह, वे पीडब्लू–9 के पास गए और उसे बताया कि एक बड़ी गलती हुई है। अनुच्छेद क्यू, आर और एस की डीएनए प्रोफाइलिंग जो कि योनि स्लाइड, रेक्टल स्लाइड और मृतक के बालों पर सूखा खून है, वाई (पुरुष) एसटीआर दिखाया है। सतीश का रक्त का नमूना क्यू, आर और एस पर पाए गए अनुच्छेदों से मेल खाता है। अपीलकर्ता अन्यत्र उपस्थिति साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलकर्ता के शरीर पर पाए गए खरोंच के घावों के लिए किसी भी स्पष्टीकरण का अभाव है। हम समवर्ती निष्कर्षों से सहमत हैं कि अपीलकर्ता आरोप के अनुसार अपराध करने का दोषी है और हमें अपीलकर्ता की सजा में कोई दोष नहीं लगता है।

13. यह न्याय का उपहास है क्योंकि अपीलकर्ता को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। यह एक उत्कृष्ट मामला है जो बलात्कार और हत्या से जुड़े आपराधिक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले विचारण न्यायालय की परेशान करने वाली प्रवृत्ति का संकेत देता है। यह सामान्य कानून है कि एक अभियुक्त निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है। उसी दिन दोषसिद्धि और दंडादेश पारित किए जाने के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) का उद्देश्य और उद्देश्य यह है कि–अभियुक्त को उस पर लगाई जाने वाली सजा के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए। दोषसिद्धि और सजा सुनाने के लिए एक द्विभाजित सुनवाई अभियुक्त को एक प्रभावी अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है।[3] विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्युदंड के प्रश्न पर सुसंगत सामग्री प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा।[4]

14. श्री के.जी. साहू कानूनी सहायता के माध्यम से नियुक्त अधिवक्ता 04.07.2017 को सत्र न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के लिए उपस्थित हुए, जब आरोप तय करने के लिए मामले को 25.07.2017 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। दिनांक 25.07.2017 को श्री एम.के. कन्नौजिया अधिवक्ता ने अपना उपस्थिति ज्ञापन दाखिल किया। उसी तारीख को, ट्रायल कोर्ट ने दर्ज किया कि आरोपों पर दलीलें सुनी गईं। आरोप तय किये गये और सुनवाई का कार्यक्रम दिया। 02.08.2017 को 9 गवाहों की जांच होनी थी और 03.08.2017 को शेष गवाहों की जांच होनी थी। 02.08.2017 को, अधिवक्ता श्री कन्नौजिया ने अदालत में प्रतिनिधित्व किया कि वह अभियुक्तों का बचाव करने के इच्छुक नहीं थे। अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने हेतु श्री सत्येन्द्र यादव, अधिवक्ता को नियुक्त किया गया। उसी दिन, पीडब्लू–1, 2 और 3 की जांच की गई और अगले दिन, पीडब्लू–4 और 5 की भी जांच की गई। अंतिम दलीलें 26.10.2017 को सुनी गईं और फैसला 03.11.2017 को सुनाया गया। उसी दिन, ट्रायल कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, जिसमें अपीलकर्ता और सतीश को मौत की सजा सुनाई गई।

---

[3] संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 6 एससीसी 498
[4] राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 12 एससीसी 460

15. ***बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य[5], मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य[6]*** में इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय ***मोहम्मद मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम बिहार राज्य[7]*** में निम्नलिखित अवलोकन किया:–

> *"ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों से जो कानून का प्रस्ताव सामने आता है, वह यह है कि दुर्लभतम मामलों को छोड़कर मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, जिनके लिए विशेष कारण दर्ज करने होते हैं, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) में अनिवार्य है। यह तय करने में कि कोई मामला दुर्लभतम की श्रेणी में आता है या नहीं, क्रूरता, और/या अपराध की भीषण और/या जघन्य प्रकृति एकमात्र मानदंड नहीं है। न्यायालय को केवल अपराध पर ही विचार नहीं करना है, बल्कि अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि आदि पर भी विचार करना है। मृत्युदंड देना एक अपवाद है, और आजीवन कारावास नियम है।"*

16. ***मोफिल खान और अन्य बनाम झारखंड राज्य,[8]*** में इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की: –

> *"8. शमन करने वाली परिस्थितियों में से एक अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह साबित करने के लिए साक्ष्य जुटाए कि आरोपी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए, दुर्लभतम मामलों को छोड़कर जब कम सजा का वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद हो जाता है। (देखें: बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 9) इस बात को संतुष्ट करने के लिए कि सुधार का सजा देने का उद्देश्य अप्राप्य है, जिससे आजीवन कारावास पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है, न्यायालय को इस बात के स्पष्ट सबूत उजागर करने होंगे कि दोषी किसी भी प्रकार की सुधार और पुनर्वास योजना के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। यह विश्लेषण केवल तभी कठोरता से किया जा सकता है जब न्यायालय अन्य परिस्थितियों के साथ–साथ अपराधी से संबंधित परिस्थितियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है (देखें: संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य 10)। राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य 11, 9 (1980) 2 एससीसी 684 10 (2009) 6 एससीसी 498 11 (2019) 12 एससीसी 460 11 | इस न्यायालय ने मौत की सजा की पुष्टि करने वाले इस न्यायालय के फैसले की समीक्षा की और निम्नानुसार टिप्पणी की:*
>
> *45. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से अनिवार्य करते हैं कि संभावना (संभावना नहीं या असंभवता या असंभवता) कि एक दोषी समाज में सुधार और पुनर्वास कर सकता है को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और मृत्युदंड देने से पहले न्यायालयों द्वारा ईमानदारी से विचार किया जाना चाहिए। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा*

---

[5] (1980) 2 एससीसी 684
[6] (1983) 3 एससीसी 470
[7] (2019) 16 एससीसी 584
[8] आरपी (सीआरएल) क्रमांक 641 2015 सीआरएल में ए. 2009 का 1795

354(3) की "विशेष कारणों" की आवश्यकता के अधिदेशों में से एक है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करना शामिल है। इस अधिदेश को प्रभावी बनाने के लिए, अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि वह साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय के समक्ष यह साबित करे कि –संभावना यह है कि दोषी को सुधार या पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह अन्य बातों के साथ–साथ, जेल में उसके आचरण के बारे में सामग्री, जेल के बाहर उसके आचरण, अगर वह कुछ समय से जमानत पर है, तो उसके मानसिक बनावट के बारे में चिकित्सा साक्ष्य, उसके परिवार के साथ संपर्क आदि को अभिलेख में लाकर प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह, दोषी भी इन मुद्दों पर सबूत पेश कर सकता है।"

17. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों के अवलोकन से पता चलता है कि मृत्युदंड की सजा देते समय अपराध की गंभीरता पर विचार किया गया था। शमन करने वाली स्थिति और सुधार की संभावना और अभियुक्तों के पुनर्वास पर विचार नहीं किया गया है। ***राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य***[9] में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक है:–

"47. दोषी के सुधार, पुनर्वास और समाज में पुनः शामिल होने पर विचार को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। बचन सिंह तक [बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 684: 1980 एससीसी (सीआरआई) 580], न्यायालयों द्वारा मुख्य रूप से अपराध की प्रकृति, उसकी क्रूरता और गंभीरता पर जोर दिया जाता था। बचन सिंह [बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 684: 1980 एससीसी (सीआरआई) 580] ने सजा प्रक्रिया को परिप्रेक्ष्य में रखा और दोषी के सुधार या पुनर्वास पर विचार करने की आवश्यकता का परिचय दिया। संविधान पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार के बावजूद, ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें से कुछ को बरियार में बताया गया है [संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 6 एससीसी 498: (2009) 2 एससीसी (सीआरआई) 1150] और संगीत बनाम हरियाणा राज्य में [संगीत बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 2 एससीसी 452: (2013) 2 एससीसी (सीआरआई) 611] जहां अपराध को प्रधानता देने और अपराधी पर विचार करने की प्रवृत्ति है कुछ हद तक गौण ढंग से. जैसा कि संगीत में देखा गया है [संगीत बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 2 एससीसी 452: (2013) 2 एससीसी (सीआरआई) 611] "सजा प्रक्रिया में, अपराध और अपराधी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।" इसलिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराधी चाहे कितना भी क्रूर क्यों न हो, वह एक इंसान ही है और अपने अपराध के बावजूद सम्मान के साथ जीवन जीने का हकदार है। इसलिए, यह निर्धारित करना अभियोजन और अदालतों का काम है कि क्या ऐसे व्यक्ति को, उसके अपराध के बावजूद, सुधार और पुनर्वास किया जा सकता है। इस जानकारी को प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करना निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसे किया जाना चाहिए। पुनर्वास की प्रक्रिया भी सरल नहीं है क्योंकि इसमें दोषी का समाज में सामाजिक पुनर्मिलन शामिल होता है। बेशक, उपलब्ध

[9] (2019) 12 एससीसी 460

कराई गई किसी भी जानकारी और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के साथ विशेषज्ञों द्वारा उसके विश्लेषण के बावजूद, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां दोषी का सामाजिक पुनर्मिलन संभव नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होना चाहिए, तो लंबी अवधि के कारावास का विकल्प स्वीकार्य है।"

18. आयोग की तारीख को अपीलकर्ता की आयु 25 वर्ष थी। वह एक अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है और शारीरिक श्रम करके अपनी आजीविका चलाता है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि अपीलकर्ता के पुनर्वास और सुधार की कोई संभावना नहीं है और मौत की सजा के वैकल्पिक विकल्प का सवाल पूर्ववत जिस अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया गया है, उसे करने से पहले अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। जेल में उनके आचरण के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं बताया गया है। इसलिए, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। हालांकि, बर्बरता को ध्यान में रखते हुए और जिस बर्बर तरीके से अपीलकर्ता द्वारा एक असहाय 11 वर्षीय लड़की पर बलात्कार और हत्या के अपराध किए गए थे, अपीलकर्ता को 30 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिसके दौरान उसे छूट नहीं दी जाएगी।

19. अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। अपीलकर्ता की भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई.पी.सी.) की धारा 363, 366क, 364, 346, 376घ, 376क, 302, 201 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में "पॉक्सो अधिनियम") की धारा 5(छ), (ड) सपठित धारा 6 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है और सजा को मौत से बिना किसी छूट के 30 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है।

दिव्या पांडे

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।
(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)